[श्री दिग्विजय सिंह]

देश में माइग्रेंट लेबर कौन-कौन से प्रदेश में है और उन प्रदेशों में वे कौन-कौन से विकास खंड से माइग्रेट करते हैं? यदि आप उसका सर्वे करवाएंगे, तो आप उनके लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएंगे। क्या माननीय मंत्री जी पूरे देश के हर प्रदेश और हर विकास खंड से कितनी माइग्रेंट लेबर जाती है, इसका सर्वे करवायेंगे?

श्री संतोष कुमार गंगवार: सभापति महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बताई गई बात दुरुस्त है। जैसा कि मैंने कहा है कि करीब 20 परसेंट माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या नज़र आ रही है और यह संख्या कम नही है, यह 10 करोड़ के आस-पास है। आपका सुझाव सही है और हम इसकी जानकारी लेंगे। हम सभी राज्य सरकारों से आग्रह कर रहे हैं कि वहां से जहां-जहां भी कर्मचारी जाते हैं, अगर उसकी जानकारी हमें देंगे, तो हम इस डेटा को दुरुस्त करके आगे उचित कदम उठायेंगे।

डा. अशोक बाजपेयी: महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस तरह के घुमंतू मजदूरों की संख्या, वर्ष 2016 के सर्वेक्षण के आधार पर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो ऐसे मजदूरों को न्यूनतम जीवनयापन के लिए, बी.पी.एल. कार्ड, राशन कार्ड या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, जो आम नागरिकों को सुविधाएं मिलती हैं, क्या ऐसी सुविधाएं इन घुमंतू मजदूरों को दिलाने की कोई कार्य-योजना सरकार के पास है?

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदय, भारत सरकार के पास ऐसी योजना नही है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे documents, चाहे राशन कार्ड हो या बी.पी.एल. कार्ड हो और अन्य सारी चीजें, ये राज्यों पर आधारित होती हैं। हम राज्य सरकारों को सुझाव देंगे कि वे इनका रिकॉर्ड रखें और उसके हिसाब से बैठकर कार्रवाई करें।

Exploitation of home garment workers

*100. SHRI SANJAY SINGH: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of exploitation of home garment workers by sub-contractors and fashion brands; and

(b) the steps taken by the Ministry to remedy and prevent such exploitation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (c) A Statement is laid on the table of the Home.

Statement

(a) and (b) The State Governments are the appropriate Government for the purpose of enforcement of the labour laws applicable to home garment workers, sub-

contractors engaging such workers and fashion brands. The State Government enforcement agencies implement various labour laws including the Code on Wages, 2019, the Industrial Disputes Act, 1947, the Contract Labour (Regulation and Abolition), Act, 1970, to regulate the employment and conditions of service of workers and protect them from exploitation. The Code on Wages, 2019, *inter alia,* ensures payment of wages not less than the minimum rate of wages, timely payment of wages and equal remuneration to the workers to prevent discrimination between workers on grounds of gender.

श्री संजय सिंह: महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि उन्होंने जो उत्तर दिया है, वह मेरे सवाल के उत्तर से भिन्न है। मेरा सवाल कुछ और था और जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, वह बिलकुल भिन्न है।

महोदय, मैंने यह जानना चाहा था कि जो multinational companies और private companies आज देश भर में, contract देकर, अलग-अलग राज्यों के अंदर गारमेंट्स बनवाने का काम, शूज बनवाने का काम, चप्पल बनवाने का काम और अन्य तमाम काम कराती हैं, उसमें श्रम का शोषण होता है। मैं University of California की एक रिपोर्ट का हवाला देकर बताना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको सवाल पूछना है।

श्री संजय सिंह: महोदय, मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि एक रुपए में एक गारमेंट, महिला लेबर्स और बाल श्रमिकों से तैयार कराया जा रहा है, तो माननीय मंत्री जी की क्या कोई ऐसी योजना है या केन्द्र सरकार की कोई ऐसी योजना है कि आप राज्यों पर कोई निगरानी कर सकें और क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि इस तरह से श्रम का शोषण न हो सके?

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदय, माननीय सदस्य सही बात कह रहे हैं। चूंकि यह विषय समवर्ती सूची का है, इसलिए वास्तव में राज्य सरकारों को इसे minor और नियंत्रित करना चाहिए। हम उन्हें लगातार सुझाव देते रहते हैं, लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने बताया है, हम फिर सभी राज्य सरकारों से संपर्क करेंगे, क्योंकि घर के अंदर लोग काम करते हैं और यह प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से लोग काम लेते हैं और उसे घर के अंदर करके देते हैं। आपकी बात सही है। हम इस संदर्भ में सभी राज्यों से बात करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

श्री संजय सिंह: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कभी-कभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, NGT या फिर High Court के आदेश से, अचानक लेबर से काम कराना बन्द करा दिया जाता है, जिसकी वज़ह से बहुत सारे मजदूर बिलकुल बेरोजगार हो जाते हैं, उनके सामने रोजमर्रा की जिंदगी में खाने का संकट पैदा हो जाता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया सवाल पूछिए।

श्री संजय सिंह: मैं माननीय मंत्री जी से दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा क्या राज्यों को निर्देश देने की आपकी कोई योजना है, जिससे ऐसी परिस्थितियों में अथवा ऐसी आपातकालीन स्थिति में उनका जीवन यापन चल सके?

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदय, माननीय सदस्य का कहना दुरुस्त है। अब, हम आगे श्रम कानूनों में जो संशोधन कर रहे हैं, उनके तहत यह काम भी कर रहे हैं कि किसी भी यूनिट में अगर हड़ताल होगी, तो 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी। अभी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हड़ताल करना चाहें, तो कल से हड़ताल कर सकते हैं।

महोदय, हम जो प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं और जो कानूनों में संशोधन होता है, वह इस प्रक्रिया का हिस्सा है। हम राज्य सरकारों के भी निरन्तर संपर्क में रहते हैं और हमारा मंत्रालय भी सक्रिय रहता है कि अगर ऐसी कोई सूचना आए, तो वह कार्रवाई करे। हमने इसमें एक और काम किया है कि कहीं पर अगर ऐसी बात होती है, तो उस कर्मचारी को एक महीने का वेतन देने का काम हम अलग से करते हैं, जिससे कि वह एक महीने तक अपना जीवनयापन कर सके और भविष्य की तैयारी कर सके।

Assessment of requirement of skilled labour force

*101. SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether a large number of people are unemployed in the country;

(b) if so, the number of registered unemployed people, State/UT-wise;

(c) the details of employment opportunities created in the last three years and the current year, State/UT-wise;

(d) whether Government has carried out any assessment with regard to requirement of skilled labour force for different activities; and

(e) if so, the various steps taken by Government to provide the necessary skills to the unemployed youths along with the number of such youths benefited through the said schemes during the last three years and the current year, year-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (c) A Statement is laid on the table of the Home.